

कार्यालय जिलाधिकारी/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चमोली।
दूरभाष न०- 01372-251437, email-ddmachamoli1077@gmail.com
website - www.chamoli.nic.in

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चमोली के विभिन्न स्थानों में घटित हो सकने वाली सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत राहत शिविरों एवं आपदा पीड़ितों को उपलब्ध कराये जा सकने वाले हल्का नाश्ता, भोजन, खाद्य पैकेटों में सम्मिलित की जा सकने वाली खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की सम्भावित आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 (यथा संशोधित 2015) के अन्तर्गत टू बिड सिस्टम के तहत वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत इच्छुक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित फर्म/एजेन्सियों/प्रोपराईटर्स से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदा दिनांक 16.06.2017 के अपराह्न 2:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति के सम्मुख खोली जायेगी। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी चमोली में निहित होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	धरोहर धनराशि रु० में (EMD)	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० में	निविदा की वैधता अवधि
01	सम्भावित आपदा राहत शिविरों हेतु हल्का नाश्ता, भोजन, खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं	5,000.00	500.00+13.5%वैट	01 वर्ष

निविदा फार्म की निर्धारित धनराशि रु० 568.00 (वैट सहित) है। निविदा प्रपत्र, सामग्री की सूची एवं निविदा शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी अधिकारी (नजारत) जिला कार्यालय गोपेश्वर (चमोली)से प्राप्त की जा सकती हैं अथवा वेबसाईट www.chamoli.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, चमोली के नाम जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(आशीष जोशी)
जिलाधिकारी,
चमोली

सख्या- 90 /तेरह- (2016-17) दिनांक गोपेश्वर 01 जून, 2017

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिला सूचना अधिकारी चमोली को निविदा की दो प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 02 स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशित समाचार की एक प्रति मय देयको सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला कार्यालय चमोली को निविदा प्रपत्रों सहित उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय एवं समस्त तहसील कार्यालय जिला चमोली।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त निविदा प्रपत्र आज ही वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5- प्रतिलिपि गठित समिति के नामित सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
चमोली।

निविदा शर्तें

1. इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से जनपद चमोली के विभिन्न स्थानों में घटित हो सकने वाली सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत राहत शिविरों एवं पीड़ितों को उपलब्ध कराये जा सकने वाले खाद्य पैकेटों में सम्मिलित की जा सकने वाली खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की सम्भावित आपूर्ति की अधिप्राप्ति हेतु टू-बिड सिस्टम 1. तकनीकी निविदा, 2. वित्तीय निविदा के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। सामग्रियों का विवरण **Annexure-1** में संलग्न है।
2. क्रय की जाने वाली सामग्री एवं उनकी मात्रा आवश्यकता पड़ने पर ही समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा यह दरें 01 वर्ष तक मान्य होंगी। आपात स्थिति ना होने पर या सामग्री की आवश्यकता ना होने पर सामग्री क्रय नहीं की जायेगी।

न्यूनतम पात्रता की शर्तें-

- (i) फर्म का विगत 03 वर्ष का औसत टर्न ओवर मार्च-2017 तक 1.00 लाख तक का होना चाहिए।
- (ii) फर्मों का PAN No एवं TIN No पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iii) निविदादाता को केन्द्रीय व राज्य सरकार या उसकी किसी संस्था द्वारा प्रतिबन्धित सूची (काली सूची) में न होने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

अर्नेस्ट मनी डिपोजिट और निविदा फीस-

- (i) निविदा प्रपत्र के साथ इच्छुक फर्म द्वारा रू. 5000.00 (पांच हजार रू0 मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक से बना हुआ एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी धरोहर धनराशि के रूप में जिलाधिकारी चमोली के नाम जमा किया जायेगा जिसकी वैधता निविदा प्रकाशित होने की तिथि से 01 वर्ष की होगी। स्वीकृत निविदादाताओं की धरोहर धनराशि 01 वर्ष तक जिलाधिकारी चमोली के नाम बन्धक रखी जायेगी। अस्वीकृत निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा खुलने के 15 दिन अन्दर वापस कर दी जायेगी। सामग्री आपूर्ति हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत सामग्री उपलब्ध न कराने व सामग्री के संतोषजनक न होने की स्थिति में उक्त धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

निविदा की वैधता-

- (i) निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

निविदा की शर्तें-

- (i) इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से संलग्न सूची में अंकित खाद्य सामग्री/आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथा संशोधित 2015) के तहत टू-बिड सिस्टम (अ) तकनीकी निविदा (ब) वित्तीय निविदा के अन्तर्गत निविदाये प्राप्त की जायेगी।
- (ii) जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर निविदा को खोला जाएगा।
- (iii) निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद कर रखा जाएगा, उसके बाद इन दोनों लिफाफों में तकनीकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा लिखकर, एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर रखा जायेगा। तकनीकी निविदा उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा में सामग्री की दर अकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश अंको व शब्दों में अंकित धनराशि में

भिन्नता होती है तो शब्दों में अंकित धनराशि अन्तिम मानी जायेगी। तकनीकी निविदा प्रपत्र **Annexure-2** पर संलग्न है।

- (iv) निविदा प्रपत्र जमा करते समय निविदा प्रपत्र मूल्य के रूप में रु. 500.00+13.5%वैट (कुल 568.00 रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिलाधिकारी चमोली के पक्ष में बनाकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (v) सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी आवश्यक है। सामग्री की गुणवत्ता आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।
- (vi) पंजीकृत इच्छुक फर्मों द्वारा सीलबंद निविदा दिनांक 16.06.2017 को समय अपराहन 2.00 बजे तक जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय चमोली (गोपेश्वर) में रखे गये सीलबंद निविदा पेटी में डाले जायेंगे। नियत तिथि एवं समय उपरान्त प्राप्त निविदा प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (vii) समिति द्वारा प्राप्त निविदायें दिनांक 16.06.2017 को अपराहन 3:00 बजे जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय चमोली (गोपेश्वर) में निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा खोलने के समय तकनीकी निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति रहने पर खोले गये निविदा के सम्बन्ध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
- (viii) निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध करायी गई सामग्री की न्यूनतम दरें जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा सूचीबद्ध की जाएगी।
- (ix) निविदादाता द्वारा **Annexure-1** में उल्लिखित प्रत्येक सामग्री की दी गयी न्यूनतम दर को आधार मूल्य माना जाएगा।
- (x) जिलाधिकारी द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम उन निविदादाताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा जो कि उपरोक्त प्रस्तर ix में चयनित न्यूनतम मूल्य (आधार मूल्य) पर प्रत्येक सामग्रियों की आपूर्ति करने को तैयार होंगे।
- (xi) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् पूर्ति आदेश (वर्क ऑर्डर) के आधार पर आवश्यकता होने पर निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता की सामग्री तत्काल स्वयं के व्यय पर आपदा प्रबन्धन कार्यालय, चमोली/निर्धारित स्थलों (समस्त तहसील मुख्यालय) पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें—

- (i) किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र चमोली (गोपेश्वर) होगा।
- (ii) जिलाधिकारी, चमोली को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (iii) सभी सूचनाएँ संलग्न दोनो परिशिष्ट (Annexures) पर पूर्ण होनी अनिवार्य है।

निविदा सम्बन्धी अन्य विवरण

- | | |
|--|--|
| 1- निविदा प्रपत्र का मूल्य | : रु. 500.00+13.5%वैट |
| 2- निविदा प्रपत्र विक्रय की अवधि | : दिनांक 02.06.2017 से 15.06.2017 तक |
| 3- मुहरबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समय | : दिनांक 16.06.2017 (अपराहन 2:00 बजे तक) |
| 4- निविदा खोले जाने की तिथि/समय | : दिनांक 16.06.2017 (अपराहन 3:00 बजे) |
| 5- निविदा खोले जाने का स्थान | : जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय चमोली (गोपेश्वर)। |
| 6- निविदा प्रपत्र की वैबसाईट | : www.chamoli.nic.in |

दिनांक:—.....

जिलाधिकारी,
चमोली।

तकनीकी निविदा प्रपत्र (Technical Bid)

फार्म मूल्य: रू 500.00+13.5%वैट
फार्म पत्रांक/2017-18

1	फर्म/प्रोपराईटर का नाम	
2	पता	
3	फर्म का दूरभाष/फैक्स नम्बर एवं e-mail पता	
4	वाणिज्य कर विभाग के पंजीकरण संख्या (TIN) (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति)	
5	फर्म का आयकर पैन (PAN) (विगत वर्ष के आयकर भरने पर विभाग द्वारा जारी रसीद तथा पैनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति)	
6	फर्म की विगत 03 वर्ष मार्च-2017 तक Turnover की रिपोर्ट (औसत Turn over न्यूनतम रू0 1.00 लाख या उससे अधिक की प्रमाणित छाया प्रति)	
7	केन्द्र व राज्य में काली सूची में न होने का प्रमाण पत्र (शपथ पत्र)	
8	धरोहर राशि (EMD) रू0 5,000.00 का विवरण (मूल में संलग्न करना अनिवार्य है जो कि जिलाधिकारी चमोली के नाम बन्धक हो)	धनराशि रू0.....का एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी संख्या..... दिनांक.....संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता,

पता तथा मोहर

मो0न0:

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1-फर्म का नाम.....

2-फर्म का पता (दूरभाष सहित).....

सामग्री का विवरण-

क्र०सं०	हल्का नाश्ता प्रति प्लेट	दर (अकों एवं शब्दों में)	लन्च पैकेट प्रति प्लेट	दर (अकों एवं शब्दों में)	अन्य सामग्री	दर (अकों एवं शब्दों में)
1	सब्जी, पूरी (06), पानी 250 मि०ली०, चाय, अचार		सब्जी, रोटी (04), चावल, दाल, अचार, पानी 250 मि०ली०		भुना चना (दर प्रति किग्रा०)	
2					गुड़ (दर प्रति किग्रा०)	
3					चावल (दर प्रति किग्रा०)	
4					आटा (दर प्रति किग्रा०)	
5					दाल अरहर (दर प्रति किग्रा०)	
6					चीनी (दर प्रति किग्रा०)	
7					चायपत्ती (दर प्रति 250 ग्राम)	
8					दूध पाउडर (दर प्रति किग्रा०)	
9					तेल रिफाइन्ड (दर प्रति ली०)	
10					मोमबत्ती (दर प्रति किग्रा०)	
11					माचिस (दर प्रति 01 दर्जन)	
12					आयोडाइज्ड नमक (दर प्रति किग्रा०)	
13					जीरा साबूत (दर प्रति किग्रा०)	
14					सब्जी मसाला पिसा (दर प्रति किग्रा०)	
15					बिस्कुट 50 ग्राम पैकेट (दर प्रति पैकेट)	
16					टेन्ट (वॉटर प्रूफ) (10x10) (दर प्रति नग/प्रति दिन)	
17					रजाई (दर प्रति नग/प्रति दिन)	
18					गद्दे (दर प्रति नग/प्रति दिन)	
19					दरी (दर प्रति नग/प्रति दिन)	
20					सोलर लाईट (दर प्रति नग/प्रति दिन)	
	कुल दर प्रति प्लेट		कुल दर प्रति प्लेट			

उपरोक्त दरें समस्त करों सहित सही अंकित की गयी हैं तथा दी गयी समस्त निविदा शर्तें मुझे मान्य हैं। उक्त दरों पर आपूर्ति किये जाने हेतु मैं सहमत हूँ।

(निविदाता: हस्ताक्षर एवं मोहर)